# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
## पीठासीन अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह आर0ए0एस0

| मुकदमा संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 101/2018 | 16.05.2018 | ..... 12.3.2020 |

उनवान

1. रतिदेवी पुत्री श्री रघुवीरसिंह
2. बालूराम पुत्र श्री रघुवीरसिंह
3. अनिता पुत्री श्री रघुवीरसिंह
4. शान्ति पत्नी रघुवीरसिंह
5. आशु पुत्र श्री महीपाल पुत्र श्री रघुवीरसिंह
6. बिन्दिया पुत्री श्री महीपाल पुत्र श्री रघुवीरसिंह
7. कृष्णा पत्नी श्री महीपाल पुत्र श्री रघुवीरसिंह जाति मेघवाल निवासीयान ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0। :–प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 टी0 ऐ0 1955

उपस्थितः–

1. श्री भगत सिंह अधिवक्ता वादी
2. तहसीलदार कोटकासिम पैरोकार सरकार

वादीगण ने मय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर एक दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 टी0 ऐ0 1955 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 320/0.4400, 326/0.2900, 328/0.1800 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.9100 हैक्टयर वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम में स्थित है। जो कि इस वादपत्र में विवादित आराजीयात कहलावेगी। विवादित आराजीयात मिन वादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिताजी व वादिया सं0 4 के पति व वादीगण सं0 5 व 6 के दादाजी व वादिया सं0 7 के ससुर श्री रघुवीरसिंह पुत्र श्री शादीराम को राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन होने के कारण गैरखातेदारी के रूप में अलाट की गई थी। अलाटमेन्ट के वक्त ही

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

विवादित आराजीयात पर रघुवीरसिंह पुत्र श्री शादीराम को दखल दे दिया गया था और अलाटमेन्ट के वक्त से ही रघुवीरसिंह अपने जीवनकाल में विवादित आराजीयात पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते रहे। रघुवीरसिंह पुत्र श्री शादीराम ने अपने जीवनकाल में ही उक्त विवादित आराजीयात गैरखातेदारी की खातेदारी लेने की कार्यवाही की थी और गैरखातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण सं0 13 दिनांक 20.06.1975 को तत्कालीन तहसीलदार, किशनगढ़बास ने इस आधार पर नामान्तकरण सं0 13 को खारिज गैरकानूनी तरीके से खिलाफ मौका कर दिया कि उक्त आराजीयात पर रघुवीरसिंह का कब्जा है अलाटमेन्ट के समय से ही रघुवीरसिंह का कब्जा नही है। जबकि अलाटमेन्ट के समय से ही रघुवीरसिंह उक्त विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त रहे अब उनकी फौतगी के बाद मिन वादीगण काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर मिन वादीगणो का वास्तविक कब्जा काश्त है। रघुवीरसिंह की फौतगी के बाद विवादित आराजीयात मिन वादीगणों को उनकी विरासत से प्राप्त हुई है। मिन वादीगणो के नाम का अमल दरामद राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में हो रहा है। दिनांक 15/05/2018 को मिन वादीगणो ने हल्का पटवारी से नकल जमाबंदी वास्तें किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु प्राप्त की और उसका अवलोकन किया तो पता चला कि उक्त विवादित आराजीयात राजस्व रिकोर्डस में गैरखातेदारी दर्ज चली आ रही है। जिस पर समस्त नकुलात हासिल कर प्रतिवादी से गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार देने हेतु कहा तो वो साफ इंकार हो गया और कहा कि सक्षम अदालत में दावा दायर कर आदेश लेकर आने पर ही गैरखातेदार से खातेदारी अधिकार तुमको दूँगा। इसलिये मिन वादीगणों को विवादित आराजीयात गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान कर या गैरखातेदारी शब्द को कलमजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जिसके लिये मिन वादीगणो को यह दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अदालत श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिम आया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दावा पेश किया। जिसमें अंकित किया कि विवादित भूमि वाके ग्राम खेड़ी आराजी खसरा नम्बर 320/0.4400, 326/0.2900, 328/0.1800 कुल किता 3 कुल रकबा 0.91 हैक्टयर राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 मुताबिक रघुवीर सिंह पुत्र शादीराम जाति चमार साकिन देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा रघुवीर की फौत हो जाने से जरिये इंतकाल संख्या 1220 दिनांक 06.06.2016 से विरास्त बालूराम पुत्र रत्तीदेवी, अनीता पुत्रीयांन व शान्ति देवी पत्नी रघुवीर 4/5 हिस्सा, आसू पुत्र व बिन्दिया पुत्री व कृष्णा पत्नी महीपाल 1/5 हिस्सा जाति चमार साकिन देह गैरखातेदार दर्ज हुई है। मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 10.08.2018 एवं सरपंच ग्राम पंचायत खानपुर

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अहीर तथा ग्रामवासीयान के बताये मुताबिक दिनांक 25.06.2018 उक्त भूमि पर बालूराम वगैरा का कब्जा काश्त हैं।

वाद में निम्न तनकियात कायम की गई–

1. आया वादीगण, विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 320/0.4400, 326/0.2900, 328/0.1800 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.9100 हैक्टयर वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 पर मौके पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आरहे है।
2. आया वादीगण, विवादित हाल खसरा नम्बरान 320/0.4400, 326/0.2900, 328/0.1800 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9100 हैक्टयर वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 पर राजस्व रिकोर्ड में गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

वादी की ओर से साक्ष्य में पी0डब्लू0–1 बालूराम, पी0डब्लू0–2 जिलेसिंह, पी0डब्लू0–3 दयाराम के शपथ पत्र पेश किये गये। पी0डब्लू0–1 बालूराम पुत्र रघुवीरसिंह ने अपने शपथपत्र में अंकित किया है कि विवादित आराजीयात मिनवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिताजी व वादिया संख्या–4 के पति व वादीगण संख्या 5 व 6 के दादाजी व वादिया संख्या–7 के ससुर रघुवीरसिंह पुत्र शादीराम को राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन होने के कारण गैर खातेदारी के रूप में अलाट की गई थी। अलाटमेन्ट के वक्त ही विवादित आराजीयात पर रघुवीरसिंह पुत्र शादीराम को दखल दे दिया गया था जो अलाटमेन्ट के वक्त से ही रघुवीरसिंह अपने जीवनकाल में ही उक्त विवादित आराजीयात गैरखातेदारी की खातेदारी लेने की कार्यवाही की थी और गैरखातेदारी से खातेदारी का नामांतकरण संख्या 13 दिनांक 20.06.1975 को तत्कालीन हल्का पटवारी ने मंजूर किया और कानूनगो द्वारा मिलान किया गया। परन्तु तत्काली तहसीलदार किशनगढ़बास ने नामांतकरण संख्या 13 को खारिज गैरकानूनी तरीके से खिलाफ मौका कर दिया। उक्त आराजी पर रघुवीरसिंह का कब्जा नही है जबकि वक्त आलाटमेन्ट से ही रघुवीरसिंह का कब्जा काश्त है। नायब तहसीलदार कोटकासिम द्वारा जिरह की गई। जिरह में प्रार्थी ने यही कहा है कि विवादित भूमि अलाट हुई थी। वक्त आलाट से ही हमारा व हमारे पूर्वजो का कब्जाकाश्त रहा है।

बहस विद्वांन अभिभाषक वादी सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद में अंकित तत्थयों को दोहराया और कहा की विवादित आराजीयात मिन वादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिताजी व वादिया संख्या 4 के पति व वादीगण संख्या 5 व 6 के दादाजी एवं वादीया संख्या 7 के ससुर श्री रघुवीरसिंह पुत्र शादीराम को भूमिहीन होने के कारण गैरखातेदारी के रूप में अलाट की गई थी। वक्त अलाटमेन्ट से मिनवादीगण एवं उनके पूर्वज काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2070–2073 में वादीगण के पिता के नाम का इंद्राज गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। नामान्तकरण संख्या 13 हल्का पटवरी द्वारा दर्ज कर

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

दिया गया है एवं कानूनगो द्वारा मिलान किया गया लेकिन कब्जा ना होने के कारण लिखते हुए इंतकाल खारिज कर दिया गया। खसरा गिरदावरी सम्वत 2030 से 2033 जो वादीगण के पिता के नाम से है वह बखूबी वादीगण के कब्जाकाश्त को सिद्ध करती है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री फरमाने की कृपा करे।

विद्वांन अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तनकी नम्बर 1 आया वादीगण, विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 320/0.4400, 326/0.2900, 328/0.1800 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.9100 हैक्टयर वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 पर मौके पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आरहे है, को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण का कथन है कि जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 में वादीगण के पिता का नाम रघुवीरसिंह पुत्र शादीराम चमार साकिन देह गैरखातेदार दर्ज है एवं खसरा गिरदावी सम्वत 2030 से 2033 में वादीगण के पिता का नाम काश्त में अंकित है जो पजेशन को सिद्ध करता है। पटवारी हल्का खांनपुर अहीर की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.08.2018 में भी वादीगण का ही कब्जा काश्त बताया है। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2– आया वादीगण, विवादित हाल खसरा नम्बरान 320/0.4400, 326/0.2900, 328/0.1800 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9100 हैक्टयर वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 पर राजस्व रिकोर्ड में गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण का कथन है कि विवादित आराजीयात की गैरखातेदारी से खातेदारी लेने की कार्यवाही की थी और गैरखातेदारी से खातेदारी का नामांतकरण संख्या 13 दिनांक 20.06.1975 को तत्कालीन हल्का पटवारी ने मंजूर किया और कानूनगो द्वारा मिलान किया गया परन्तु तत्कालीन तहसीलदार किशनगढ़ बास ने इस आधार पर नामांतकरण संख्या 13 को कब्जा नही होने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि गिरदावरी सम्वत 2030 से 2033 में वादीगण का कब्जा काश्त बखूबी साबित है। पत्रावली एवं दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2030 से 2033 का अवलोकन किया। तहसीलदार किशनगढ बास द्वारा नामांतकरण संख्या 13 दिनांक 20.6.1975 इस कारण खारिज किया की वादीगण के पिता का कब्जा नही है जो खसरा गिरदावरी सम्वत 2030 से 2033 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजीयात पर वादीगण के पिता का उस वक्त भी कब्जा काश्त था। नामांतकरण संख्या 13 गलत तथ्यों के आधार पर खारिज किया है। इसलिए यह तनकी नम्बर 2 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

वादीगण तनकी नम्बर 1 व तनकी नम्बर 2 को सिद्ध करने में कामयाब रहे है। इसलिए वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अतः वादीगण का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 320/0.4400, 326/0.2900, 328/0.1800 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.9100 हैक्टयर वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। हाल जमाबंदी से विवादित आराजीयात में गैरखातेदार को कलमजन कर खातेदारी का अंकन किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.3.2025 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

धीरेन्द्र सिंह (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner